तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 74/2018 तहसीलदार बाड़मेर बनाम बिहारी वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाड़मेर आगोर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 05.06.2018 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाड़मेर आगोर पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाड़मेर	
05.06.2018	पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाड़मेर आगोर पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरान में ग्राम बाड़मेर आगोर में स्थाई रास्ता जो रिणधरी रोड से रूगाणी मेघवालों की ढाणी तक जा रहा है, जिसकी लम्बाई 0.24 कि.मी. है। इस रास्ते पर कच्ची सड़क बनी हुई है, जो संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाई गई है। उक्त रास्ता आमरास्ता है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित पक्षकारान के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर का पत्रांक 97 दिनांक 20.11.2017 एवं उसके संलग्न खातेदारान की सहमति पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि प्रस्तावित खसरा नम्बरान् के खातेदारान प्रस्तावित रास्ता घोषित करवाने में सहमत है और उक्त रास्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है व उक्त रास्ते पर ग्रेवल सड़क का निर्माण भी ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जा चुका है। मजमे आम में उक्त रास्ते के बारे में चर्चा करने पर उपस्थित लोगों ने प्रस्तावित रास्ता पूर्व से चलना अवगत करवाया तथा कच्चा रास्ता बना होना अवगत करवाया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अंकित खसरान की भूमि में कच्ची सड़क बनी हुई है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है, जिसे राजस्व अभिलेख में	

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व आवेदन संख्या 74/2018 तहसीलदार बाडमेर बनाम बिहारी वगैराह

सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौजा बाडमेर आगोर की निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है को सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावेः–

क.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई–चौडाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	बिहारी पुत्र गोरखा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	2153/1077	24.05	464 X30 फीट	0.16	बा.दोयम
2	कुशला पुत्र रूगा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	2152/1077	28.10	291 X 30 फीट	0.10	बा.दोयम

नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner